

श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की दि० 08.01.2019 को मंथन सभागार में आयोजित 20वीं एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के तहत नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का वितरण :

1. श्री मोनिष मल्लिक, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
2. श्री वी०के० गांगटे (प्रतिनिधि-नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण)
3. श्री सुरेन्द्र मेहरा, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)
4. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव-वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन
5. श्री राजेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, वित्त विभाग
6. श्री कृष्ण सिंह, संयुक्त सचिव-राजस्व
7. श्री मनोज कुमार तिवारी, अपर सचिव-पंचायती राज
8. श्री कवीन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
9. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

**विशेष आमंत्रि**

1. श्रीमती रंजना काला, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं
2. डॉ० धनन्जय मोहन, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति की 20वीं एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के तहत नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के आलोक में कार्यकारी समिति का नये सिरे से गठन किया गया है, अतः सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा पूर्व में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा एवं नवगठित उत्तराखण्ड कैम्पा की समितियों की संरचना, प्राविधानों एवं नये नियमों के मुख्य बिन्दुओं पर समस्त उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया।



जमा कराये जाने वाली धनराशि सीधे राज्य निधि में जमा की जायेगी। जिसका 10 प्रतिशत राष्ट्रीय प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जायेगा।

(घ) अधिनियम, 2016 की धारा 11(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं धारा 11(3) के अंतर्गत कार्यकारी समिति में 02 गैर सरकारी संगठनों एवं 02 जिला स्तरीय पंचायती राज संगठनों के प्रतिनिधि एवं एक जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि को नामित किया जाना है, जिस हेतु प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित किया गया है।

कार्यकारी समिति की बैठक के उपरांत तत्काल मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की बैठक आयोजित की जानी है इसके दृष्टिगत अध्यक्ष कार्यकारी समिति/प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक में उपस्थित शासन के प्रतिनिधि से प्राथमिकता के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को नामित किये जाने की कार्यवाही की अपेक्षा की गई।

#### कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.1:

दिनांक 19.03.2018 को सम्पन्न हुई उन्नीसवीं कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन:-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 19.03.2018 को आयोजित कार्यकारी समिति की उन्नीसवीं बैठक के कार्यवृत्त अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के संमक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

#### कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.2: वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष वित्तीय प्रगति

20.2.1 गा0 सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2018-19 में उत्तराखण्ड कैम्पा संचालन समिति द्वारा दिनांक 09.05.2018 को सम्पन्न 13वीं बैठक में ₹ 31830.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित की गई थी। उत्तराखण्ड कैम्पा को वर्ष 2018-19 में एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार से वर्तमान तक ₹ 30300.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

20.2.2 अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष दिनांक 07.01.2019 तक विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 10280.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष एम0आई0एस0 में दर्ज वित्तीय

Name of CAT	Total Cost of Project	Released	Exp.	Progress % against released
1	2	4	5	6
Srinagar H.E.P.	2176.45	1738.14	1420.61	82
Lata Tapovan	1621.76	842.61	679.44	81
Tapovan - Vishnugad	4329.85	2426.87	1876.44	77
Singoli -Bhatwari	1272.15	631.57	539.21	85
Phatta- Byung	894.69	519.44	402.75	78
Lakhwar H.E.P.	8586.25	416.64	91.42	22
Vishnugad- Pipalkoti H.E.P.	4707.40	1432.26	479.77	33
Vyasi H.E.P	1894.41	136.65	78.22	57
Bhyundar Ganga H.E.P.	281.59	7.57	6.17	82
CATPMU		117.98	54.13	46
<b>Total</b>	<b>25764.55</b>	<b>8269.73</b>	<b>5628.16</b>	<b>68</b>

समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष विभिन्न कैट प्लानों हेतु 1444.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 223.32 लाख की प्रगति प्राप्त हुई है, जो कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लगभग 16 प्रतिशत है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा कैट प्लान के अंतर्गत हुये अल्प व्यय पर असंतोष व्यक्त करते हुए, संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को इस पर विशेष ध्यान देने एवं चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप समयान्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

20.2.5 समिति को अवगत कराया गया कि राज्य का अधिकांश भू-भाग वनआच्छादित है। राज्य में मृदा एवं जल संरक्षण मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता है, जिसके अन्तर्गत कैम्पा द्वारा विगत दो वर्षों में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। वर्ष 2017-18 में उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत विभिन्न क्षमताओं के 887 जलकुण्डों का निर्माण एवं वर्ष 2018-19 में 1272 जलकुण्डों का निर्माण कर क्रमशः लगभग 2.7 करोड़ लीटर व 5.0 करोड़ लीटर जल ग्रहण क्षमता विकसित की गई। जिसका विवरण समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:-

वर्ष	विभिन्न क्षमता के जलकुण्ड	2.5 लाख ली0	1 लाख ली0	50 हजार ली0	20 हजार ली0	योग	व्यय धनराशि (लाख ₹)
2017-18	संख्या	20	14	150	703	887	233.24
	जलग्रहण क्षमता (करोड़ ली0 में)	0.50	0.14	0.75	1.4	2.79	



कारण भी कार्यों की गति पर विराम लग रहा है। समिति द्वारा इस संबंध में शासन के प्रतिनिधि से यह भी अनुरोध किया गया कि प्रभागों में प्रभागीय वनाधिकारियों की तैनाती हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यावाही संपन्न की जाये।

- (iii) अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा व्यय की प्रगति में गति लाने एवं वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए, निर्धारित मानकों के अनुरूप लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति समयान्तर्गत सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को कठोर निर्देश निर्गत किए जाने के निर्देश दिये गये।

### कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.3: वित्तीय वर्ष 2018-19 में किए गये अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कार्योंत्तर स्वीकृति:

20.3.1 सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण मद में कुल ₹ 3739.70 लाख की धनराशि (वर्ष 2017-18 की इस मद में स्वीकृत अवशेष ₹ 718.20 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए) अनुमोदित की गई थी। इसके अंतर्गत 875 हे० अग्रिम मृदा कार्य हेतु ₹ 500 लाख की धनराशि स्वीकृत थी।

20.3.2 उत्तराखण्ड कैम्पा की 13वीं संचालन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि विगत वर्षों के अनुभव को देखते हुए, दो वर्षों में विभाजित पारम्परिक पद्धति से किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के स्थान पर, यथासम्भव ए०एन०आर० की प्रक्रिया अपनाई जाय, जिसके लिए तकनीकी दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने हेतु वन विभाग को निर्देश दिये गये थे। वन विभाग द्वारा इस पर योजना तैयार किए जाने के उद्देश्य से तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जो कि इसकी स्थलवार, भौगोलिक स्थिति, स्थानीय जलवायु अनुसार तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर अध्ययन उपरान्त रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगी। समिति को अवगत कराया गया कि इस हेतु विभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा ए०एन०आर० संबंधी तकनीकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है एवं इसमें कुछ और समय लगने की सम्भावना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है एवं ये कार्य समयबद्ध प्रकृति के हैं, जिसके दृष्टिगत समिति द्वारा विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को पहले वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 में 3000 हे० क्षेत्र में परम्परागत अग्रिम मृदा कार्य किए जाने एवं 500 हे० क्षेत्र में (कुमाऊँ ज़ोन-250 हे० एवं गढ़वाल ज़ोन-250 हे०) ए०एन०आर० के माध्यम से वनीकरण कार्य करवाये जाने का निर्णय लिए गया। तत्पश्चात अगले वर्षों में इस हेतु गठित समिति से प्राप्त सुझावों/रिपोर्टों के आधार पर वनीकरण कार्य सम्पादित कराये जाये।

20.3.3 समिति को अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा दिए गये निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों को वर्तमान तक 3000 हे० के सापेक्ष 2984.45 हे० लक्ष्य आवंटित किए गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों हेतु आवश्यक अवशेष ₹ 15 करोड़ की धनराशि को एन०पी०वी० के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि से समायोजन किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष 2018-19 की घटकवार संशोधित वार्षिक कार्ययोजना निम्नानुसार होगी :-



भारत राज्य के संसाधनों पर पड़ेगा।

- (iii) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 के नियम सं०-5 (4) (i) में उल्लेख किया गया है कि "undertaking forest and wildlife conservation and other activities undertaken under other schemes of the Govt. for the purpose of part financing the scheme for completing left over works or complementary works of such schemes"। इस प्रकार नमामि गंगे परियोजना का वित्त पोषण कैम्पा निधि से किया जाना भारत सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के प्रतिकूल प्रतीत होता है।

अतः समिति द्वारा नमामि गंगे के अन्तर्गत वृक्षारोपण लक्ष्यों हेतु कैम्पा योजना से वित्त पोषण किये जाने के संबंध में असाहमति व्यक्त की गई व इसे संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

### कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.5:उत्तराखण्ड कैम्पा में पदों के सृजन के सम्बन्ध में

20.5.1 समिति को अवगत कराया गया कि प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 11(4) के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति के कार्यों को संचालित करने हेतु निम्न पदों पर अधिकतम 5 वर्षों हेतु नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्राविधान है:-

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या
1	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01
2	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	01
3	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01

उक्त से अवगत होते हुये समिति द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त प्रतिनियुक्ति आधारित पदों पर, अधिकारियों की उपलब्धता अनुसार तैनाती की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

20.5.2 उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 11(5) के अंतर्गत कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति के कार्यों को सहायता प्रदान करने हेतु न्यूनतम सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी नियुक्त करने तथा अधिनियम की धारा 18(iv) के अंतर्गत संचालन समिति को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के आधार पर कार्यकारी समिति द्वारा सृजित पदों की अनुमति प्रदान करने का अधिकार है।

20.5.3 समिति को उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा पूर्व में उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों के सुचारु सम्पादन हेतु सृजित पदों/कार्यरत पदों की वर्तमान स्थिति से निम्नानुसार अवगत कराया गया

			मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।
6	जी0आई0एस0 एनालिस्ट (संविदा पर)	01	रोटोलाइट इमेजरी आधारित अनुश्रवण एवं समस्त स्थल विशिष्ट कार्यों का परीक्षण यथा-वनीकरण, निर्माण कार्य आदि। ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर सही पॉलीगन की प्रविष्टि एवं जांच सुनिश्चित करना। सम्बन्धित स्टाफ को प्रशिक्षित एवं क्षेत्रीय स्टाफ को सहयोग देना। ई-ग्रीन वॉच सम्बन्धी समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण तथा कैम्पा मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।
7	बजट/क्षेत्रीय सहायक (संविदा पर)	01	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर बजट तैयार करना, राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्ययोजना में योगदान, मदवार अवमुक्त धनराशि एवं स्वीकृति, प्राप्त मासिक लेखों का अध्ययन एवं प्राप्त विसंगतियों की रिपोर्टिंग, बजट सम्बन्धी कार्यों में योगदान एवं आवश्यकता पर फील्ड में कोर्डिनेटर/सहायक कोर्डिनेटर को पूर्ण सहयोग प्रदान करना तथा कैम्पा मुख्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन।

**20.5.5** विस्तृत चर्चा उपरान्त समिति द्वारा उपरोक्त पर सहमति व्यक्त करते हुए चरणबद्ध तरीके से इस पर तैनाती किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। यह सहमति बनी कि प्रथम चरण में प्रतिनियुक्ति आधारित पदों को विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। समिति द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में सेवानिवृत्त अधिकारियों को उपरोक्त पदों के सापेक्ष वांछनीय योग्यता के आधार पर 65 वर्ष की आयु तक तैनात किये जाने पर विचार करने हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया। समिति द्वारा कैम्पा कार्यों के प्रभावी मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय को और सुदृढ़ बनाए जाने के दृष्टिगत वर्तमान में कार्यरत पदों व उपरोक्त नये प्रस्तावित पदों के सृजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.6:प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित उत्तराखण्ड कैम्पा में वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन :-**

**20.6.1** समिति को अवगत कराया गया कि प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 38) की धारा-19 (ix) के अंतर्गत उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन हेतु उत्तरदायी है। नवगठित प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों/कार्मिकों को पूर्व की भांतिप्रचलित शासनादेशों के अनुसार समस्त सेवा लाभ देय होंगे। संविदारत अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से स्थापित कर्मचारी अनुबन्ध-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन होंगे।

**20.6.2** उत्तराखण्ड प्राधिकरण के कार्यों के सुचारु रूप से सम्पादित किए जाने हेतु (पूर्व कैम्पा गठन की अधिसूचना दिनांक 08 नवम्बर, 2012 में प्रदत्त कार्यशक्ति एवं दायित्वों के अनुसार ही) निम्नानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार उत्तराखण्ड कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिनिधायित किए जाने प्रस्तावित हैं :-

- (i) कैम्पा निधि का प्रबन्धन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के प्रभार में होगा एवं



क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद / उपमद का नाम	वर्ष 2019-20 का प्रस्तावित बजट (धनराशि लाख रु०)
1	2406-04-103-02-00	वानिकी तथा वन्यजीवन-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास-राज्य प्रतिपूरक वन जमा-प्रतिपूरक वनीकरण जमा-प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण तथा मृदा एवं जल संरक्षण	4500.00
2	2406-04-103-03-00	वानिकी तथा वन्यजीवन-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास-राज्य प्रतिपूरक वन जमा-प्रतिपूरक वनीकरण जमा-वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य एवं दण्डित वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य	15000.00
3	2406-04-103-04-00	वानिकी तथा वन्यजीवन-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास-राज्य प्रतिपूरक वन जमा-प्रतिपूरक वनीकरण जमा-कैट प्लान (जलागम क्षेत्र उपचार)	3000.00
4	2406-04-103-05-00	वानिकी तथा वन्यजीवन-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास-राज्य प्रतिपूरक वन जमा-प्रतिपूरक वनीकरण जमा-समेकित जल एवं भूमि प्रबंधन कार्यक्रम	2500.00
5	2406-04-103-07-00	वानिकी तथा वन्यजीवन-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास-राज्य प्रतिपूरक वन जमा-प्रतिपूरक वनीकरण जमा-अन्य वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र विकास, वृक्षों का पातन, चार दीवारी, अन्य-1 एवं अन्य-2	1500.00
		योग-(क)	26500.00
6	2406-04-103-06-00	वानिकी तथा वन्यजीवन-वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास-राज्य प्रतिपूरक वन जमा-प्रतिपूरक वनीकरण जमा-ब्याज	1000.00
		योग-(ख)	1000.00
		कुल प्रस्तावित बजट योग-(क + ख)	27500.00

20.7.2 समिति द्वारा 2019-20 हेतु प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के मुख्य घटकों एवं उनके उपघटकों के अंतर्गत प्रस्तावित समस्त गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना के निरूपण से पूर्व गत वर्षों में कैम्पा के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में भी जानकारी ली गई। जिसके क्रम में समिति को गत वर्षों की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष कैम्पा निधि से क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय की स्थिति से निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

वर्ष	ए०पी०ओ०	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि (लाख में)
2015-16	26630.86	18511.78	15387.56 (83%)
2016-17	34680.00	12212.55	10445.15 (86%)
2017-18	31235.00	11182.50	8766.05 (79%)
2018-19	31830.00	10280.48	3520.44 (34%)
			(दि० 07.01.2019 की स्थिति)

20.7.7 राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष के रोकथाम दृष्टिगत बन्दर जनित समस्या के निवारण हेतु उत्पाती बन्दरों को पकड़ने, उनका बन्ध्याकरण करने, बन्दरबाड़ा निर्माण आदि कार्यों हेतु वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत 400 लाख का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

20.7.8 उक्त के आलोक में समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त वर्ष 2019-20 हेतु क्षतिपूरक वनीकरण मद में प्रस्तावित धनराशि रु० 4500.00 लाख को यथावत रखते हुए अन्य मदों/उपमदों की धनराशि में कार्यों की महत्ता एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए वार्षिक कार्ययोजना का कुल आकार रु० 17500.00 लाख रखे जाने पर सहमति बनी।

20.7.9 वर्ष 2019-20 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के विभिन्न बिन्दुओं एवं गतिविधियों पर चर्चा उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्गत लेखा प्रक्रिया में प्राविधानित निम्नानुसार (क) लेखाशीर्षकों के अंतर्गत विभिन्न मदों/उपमदों के अन्तर्गत कुल रु० 17500.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया -

क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद / उपमद का नाम	वर्ष 2019-20 का प्रस्तावित बजट (धनराशि लाख रु०)
1	2406-04-103-02-00	सी०ए० (प्रतिपूरक वनीकरण)	4500.00
2	2406-04-103-03-00	एन०पी०वी० (निबल वर्तमान मूल्य)	7700.00
3	2406-04-103-04-00	कैट प्लान (जलागम क्षेत्र उपचार)	1500.00
4	2406-04-103-05-00	समेकित जल एवं भूमि प्रबंधन कार्यक्रम	2000.00
5	2406-04-103-07-00	अन्य वृक्षारोपण	800.00
		योग-(क)	16500.00
6*	2406-04-103-06-00	राज्य प्रतिपूरक वन जमा-प्रतिपूरक वनीकरण जमा-ब्याज	1000.00
		योग-(ख)	1000.00
		कुल बजट योग-(क + ख)	17500.00

\* प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 के नियम-06 अनुसार राज्य निधि में जमा राशि पर उपार्जित ब्याज का उपयोग निम्नानुसार गतिविधियों के लिए किया जाना है:-

(क) राज्य निधि से अंतरित ब्याज का साठ प्रतिशत वन और वन्यजीव के संरक्षण और विकास के लिए निम्नानुसार किया जायेगा।

(i) बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर क्षतिपूर्ति वनीकरण, आवाह क्षेत्र उपचार स्कीम की संवृद्धि व वन्यजीव प्रबंधन स्कीम संवृद्धि लागत हेतु। अर्थात् उपरोक्त मदों में अनुसूचित दरों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी लागत की संपूर्ति हेतु।

(ii) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों, नियमित और संविदात्मक, दोनों को वेतन और भत्तों हेतु।

(ख) राज्य निधि से अंतरित ब्याज का चालीस प्रतिशत राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जायेगा।

(i) कार्यालय स्थापना के प्रबंधन हेतु।



1	Advance Soil Work for Dwarf Species Plantation	ha	107.93	68.28
2	Dwarf Species Plantation	ha	35792	21.84
3	Maintenance of Nursery/Plantation for Dwarf Species	Nos.	6500	30.00
4	Nursery Raising for Dwarf Species Plantation	Nos.	300000	21.25
	<b>Sub-Total</b>			<b>141.37</b>
	<b>Muck Disposal</b>			
1	Muck Disposal Related Works	LS	0.00	0.00
	<b>Sub-Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Work against Collection of minor Minerals</b>			
1	River Training Works	Nos.	200	300.00
	<b>Sub-Total</b>			<b>300.00</b>
	<b>Total in Other Specified Activity</b>			<b>800.00</b>
	<b>NET RESORT VALUE</b>			
	<b>Forest Protection, Infrastructure and Human Resource Development</b>			
1	Boundary Pillars (New)	Nos.	1190	50.00
2	Construction of New FG/Forester/Mali Chowki	Nos	75	600.00
3	Construction of High Altitude Patrolling Shelter & Dev. Of SFPG at sensitive areas	Nos.	60	120.00
4	Fire Arms Purchase	Nos.	30	100.00
5	Forest Fire Management	LS	LS	500.00
6	Modernizing of Strategic Barrier	Nos	10	50.00
7	Protection of Bugyals through Local Community	ha	150	400.00
8	Renovation of Existing Building (upto range level)	Nos	100	200.00
9	Repair of Bridle Path/Forest Road/ inspection paths	Km	1000	500.00
10	Survey & Demarcation	Ha	25000	25.00
	<b>Sub-Total</b>			<b>2545.00</b>
	<b>Strengthening of Wildlife Management</b>			
1	Anti Poaching related activities	LS	LS	100.00
2	Construction & Maint. of rescue / rehabilitation center (Subject to meeting all statutory requirements)	Nos.	4	400.00
3	Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	210	100.00
4	Elephant Trenches	Km	150	150.00
5	Estimation of wildlife populations	Nos.	10	50.00
6	Fencing (Solar , Thorny etc)	Km	40	200.00
7	High Altitude and Long Distance Patrolling.	Km.	673	100.00
8	Human Wildlife Conflict Resolution (Monkey Catching, Sterilization, Monkey Cages)	Nos.	LS	400.00
9	Habitat Improvement / Lantana Removal	ha	3000	200.00
10	Lantana Removal Maintenance	ha	310	100.00

*DL*

15	Strengthening of training institute	Nos.	6	60.00
16	Support to Project Management Unit (PMU)	Nos.	1	10.00
	<b>Sub-Total</b>			<b>1130.92</b>
	<b>Plantation under NPV</b>			
1	Community Plantation and Mobilization ( Harela / Van Mahotsav etc.) - No.	LS	LS	100.00
2	Raising of Wild Fruit plants in middle Altitude and Mehal Top.	LS	LS	150.00
3	Advance Soil Works - Oak Plantation	ha	0	0.00
4	Advance Soil Works - Deodar Plantation	ha	0	0.00
5	Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	2000	155.00
6	Maintenance - Deodar Plantation	ha	114	10.76
7	Maintenance - Oak Plantation	ha	167	14.70
8	Maintenance of Deodar Nursery	Nos.	60399	2.48
9	Maintenance of Oak Nursery	Nos.	66753	2.97
10	Model Plantation	ha	0	0.00
11	Nursery Raising - Deodar Plants	Nos.	165825	12.72
13	Other Plantations under NPV	Nos.	4000	100.00
14	Plantation - Deodar Plantation	ha	0	0.00
15	Plantation - Oak Plantation	ha	0	0.00
	<b>Sub-Total</b>			<b>548.63</b>
	<b>STRENGTHENING OF VAN PANCHAYATS</b>			
	Strategic Planning and Strengthening of Van Panchayats	LS	LS	1000.00
	<b>Sub-Total</b>			<b>1000.00</b>
	<b>Total NPV</b>			<b>7900.00</b>
	<b>Soil And Water Conservation</b>			
1	Contour Trenches	ha	2485	200.00
2	Creation of water bodies	Nos.	1600	450.00
3	Maintenance of existing water Bodies	Nos.	175	100.00
4	Rejuvenation of Water Sources (Dhara, Naula)	Nos.	350	250.00
5	River front development (Koshi, Rishpna & other rivers-catchment area treatment part only, )	Nos.	LS	500.00
6	Soil & Water Conservation Measures (Chal-Khal, Chackdam, Percolation pit)	Nos.	480	300.00
7	<b>Total- Soil And Water Conservation</b>			<b>1800.00</b>
	<b>Total</b>			<b>16500.00</b>

<b>Activities/works proposed under interest accrued on State Fund</b>				
1	CAMPA Management (Salaries & Allownces of CAMPA Staff & other Office exp)	LS	LS	200.00
2	To offset the incremental cost of CA, CAT Plan, Wildlife management plan at the increased wage rates	LS	LS	750.00
3	Other Contingencies for management of CAMPA Office	LS	LS	50.00

*BR*

निविदा अथवा विभागीय रूप से करवाये जाने का विकल्प होगा।

- प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मा० मुख्य मंत्री जी की योजनाओं को विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अधिक ध्यान देते हुए, वार्षिक कार्ययोजना में इन गतिविधियों को प्राथमिकता पर स्थान दिया गया है। कैम्पा के अन्तर्गत संपादित की जाने वाली समस्त गतिविधियों को समयान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करने हेतु और अधिक प्रयास सुनिश्चित किये जायें, ताकि इसके ठोस परिणाम दृष्टिगोचर हो सकें।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 20.8: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से कैम्पा का बजट राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त होना है, इस हेतु समस्त कार्यवाहियां/तैयारियां समयान्तर्गत कर ली जाएं, ताकि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही (01 अप्रैल, 2019 से) राज्य कैम्पा का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित हो सके।

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त सदस्यगणों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

(जय राज)

अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा  
एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

(डॉ. समीर सिन्हा)


अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक-409 / 13-3(20)

दिनांक, देहरादून, 20 फरवरी 2019


प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा
2. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा।
3. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा
5. अपर सचिव-वन एवं पर्यावरण/वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/सजस्व/कृषि/जनजाति विकास/पंचायती राज/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य-कार्यकारी समिति, उ० कैम्पा।

  
(डॉ. सगीर सिन्हा)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक-409 / 13-3(20) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
(डॉ. सगीर सिन्हा)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा।

Ad-hoc

Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority  
Constituted by the Hon'ble Supreme Court by order dated 5<sup>th</sup> May, 2006 in

IA No. 1337 with IA Nos. 827, 1122, 126, 1473 in  
WP (Civil) No. 202 of 1995: T N Godavarman Thirumalpad vs. Union of India & Ors.

4<sup>th</sup> Floor, Block No.3 CGO Complex, New Delhi-110003

Tel No. (011)24368006. Fax No. (011)24368007. E-MAIL: [adhoc-campa-mef@nic.in](mailto:adhoc-campa-mef@nic.in)

File No. 1-34/2012-CAMPA

Dated: 19 April, 2018.

To

The Principal Chief Conservator of Forests,  
Government of Uttar Pradesh / Uttarakhand / Bihar / Jharkhand / West Bengal.


Sub: Implementation of Forestry Interventions in Ganga River Basin (GRB) and meeting on  
APOs of State CAMPAs and Namami Gange Project - regarding.

Sir,

In reference to the above subject, a meeting is scheduled to be held in Krishna  
Conference Hall, 4<sup>th</sup> Floor, Jal Block, Indira Park, Varanasi Bhawan, New Delhi on 23.04.2018 at  
3.00 P.M. to discuss the activities to be undertaken from the fund of State CAMPA and how  
these activities are to be dovetailed with Namami Gange Annual Plan of Operation in your State.

In view of above, you are requested kindly depute the Nodal Officer, State CAMPA and  
Nodal Officer, Namami Gange Project alongwith all details of APOs for 2018-19 for State  
CAMPA and Namami Gange Project.


Yours sincerely,

  
(D.K. Sinha)

Inspector General of Forests/  
Chief Executive Officer, Ad-hoc CAMPA

Copy to:

1. Nodal Officer (State CAMPA), O/o the PCCF, Uttar Pradesh / Uttarakhand / Bihar /  
Jharkhand / West Bengal.
2. Nodal Officer, Namami Gange Project, Uttar Pradesh / Uttarakhand / Bihar / Jharkhand /  
West Bengal.

  
(D.K. Sinha)  
Inspector General of Forests/


F.No. 12-4/2017-B.III-(NAEB)  
Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
National Afforestation and Eco-Development Board

Pt. Deendayal Antyodaya Bhavan, CGO Complex  
Lodhi Road, New Delhi - 110003

Dated: 5/12/2018

**Subject:** Minutes of the 4th Meeting of the Coordination Committee in the MoEF&CC for monitoring the implementation of Forestry Interventions in Ganga River Basin (GRB) held on 28.11.2018

A copy of the Minutes of the 4th Meeting of the Coordination Committee in MoEF&CC to discuss and finalize the modalities for implementation of forestry interventions project along Ganga in the states falling in Ganga River Basin (GRB) under the Chairmanship of DGF&SS, MoEF&CC held on 28.11.2018 is enclosed for information and necessary action.

 5/12/2018

(R.C. Meena)  
Assistant Commissioner (F)

Encl: As above


Distribution:

1. Shri T.V.N. Rao, APCCF, West Bengal
2. Shri Samir Sinha, APCCF/CEO Uttarakhand CAMPA
3. Shri A.K. Acharya, APCCF(Project), Uttar Pradesh.
4. Shri Naresh Kumar, DIGF(FC), MoEF & CC
5. Dr. Sandeep Behera, Consultant, NMCG

Distribution also to:

1. PPS to DGF&SS (MoEF&CC)
2. PPS to ADG (FC) (MoEF&CC)
3. PPS to ADG (WL)(MoEF&CC)
4. PS to IGF (NAEB)

567  
22/12/2018  
80

 5/12/18

(M. Sivagami Selvi)  
Technical Officer (Forestry)

D

DGF& SS advised to plan for next year plantations and be prepared with the advance operations & seedlings as the ministry is trying to mobilize funds from various sources like NMCG, M/o Drinking Water and Sanitation (MDWS), CAMPA etc. ADGF also added that as much area of Forestry interventions as per DPR may be included in the APO under CAMPA from states. IGF (CAMPA) has also addressed a letter (dated 22<sup>nd</sup> Novewmber,2018) to all participating states advising them to include afforestation programme activity in APO under CAMPA.

The following decisions were taken during the meeting:

- o The five States have to plan well in advance for plantation next year as per DPR so that the funds from NMCG may be sought: It is also decided to convene a meeting with Secretary, M/o Water Resources in this regard.
- o Detailed Plan for afforestation along the river Ganga and its tributaries to be prepared and incorporated in the Annual Plan of Operation under CAMPA for the year 2018 onward till the objective of afforestation along with river Ganga as per the plan prepared by FRI, Dehradun is completed by all the 5 States.
- o The States were also advised to be ready with the advance operations and planting material for next plantation.

The Meeting ended with thanks to the Chairman and all the participants.

\*\*\*\*\*

